...लय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) अरनोद, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

...ीन अधिकारी– श्री योगेश सिह देवल (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 48/24 दर्ज दिनांक – 13/06/24

उनवान

नमरोज खान पुत्र यासिन खान पठान जाति मुसलमान उम्र 58 वर्ष निवासी कोटड़ी जरीये सदर मुस्लिम कब्रस्तान कमेटी कोटड़ी तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़ (राज0)

–प्रार्थी

बनाम

श्रीमान तहसीलदार, अरनोद जिला प्रतापगढ (राज0) –विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0ए0

निर्णय

निर्णय दिनांक 13-01-26

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी के मोजा कोटड़ी , तहसील अरनोद जिला प्रतापगंढ राजस्थान में प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी का खाता सं. 1 आराजी खसरा सं. 487 कुल किता 1 रकबा 0.52 है0 आराजी स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी/कमेटी के स्वामित्व व आधिपत्य की है। तथा उक्त आराजी में कब्रिस्तान स्थित है। उक्त आराजी खाता सं. 01 का रेवेन्यु रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 की किस्म झोपड़ी दर्ज रिकार्ड है।

प्रार्थी कमांक 1 के जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 की जमाबंदी की किस्म झोपड़ी दर्ज रिकार्ड थी।

प्रार्थना पत्र कि चरण सं0 1 में वर्णितआराजी प्रार्थी को राज्य सरकार से आवंटन हुई है तथा रोटेशन जमाबन्दी में त्रुटी व सहवन से प्रार्थी के रेवेन्यु रिकॉर्ड में जमाबंदी सम्वत 2074–2077 कि किस्म झोपड़ी जिसकी जानकारी प्रार्थी के रेवेन्यु रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2074–2077 की किस्म कब्रिस्तान के बजाय रेवेन्यु रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2074–2077 कि किस्म झोपड़ी दर्ज रिकार्ड हो गया जो कि गलत है उक्त वर्णित आराजी की जमाबंदी सम्वत 2070–2073 में आराजी की किस्म कब्रिस्तान है इसलिए प्रार्थी/ कमेटी को अपनी उक्त आराजी बाबत सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने ऋण प्राप्त करने अथवा सरकारी, अर्धसरकारी कार्यवाही में दो अलग–अलग किस्म झोपड़ी होने के कारण काफी कठीनाईयों का सामना करना पड़ता है।

उपरोक्त कारणों से प्रार्थी/कमेटी अधिकारी है कि प्रार्थी/कमेटी प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित आराजी की किस्म झोपड़ी बजाय कब्रिस्तान शुद्धी व सही करवाने के अधिकारी है रेवेन्यु रिकार्ड में झोपड़ी बजाय कब्रिस्तान दरामद करावे और उपरोक्तानुसार दुरुस्ती अपने रेवेन्यु रिकार्ड में करावे।

प्रार्थी/कमेटी ने कई मर्तबा विपक्षी को प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित आराजी में आराजी किस्म झोपड़ी बजाय कब्रिस्तान करने के लिये कई मर्तबा निवेदन

उपखण्ड अधिकारी

, परन्तु विपक्षी द्वारा रेवेन्यु रिकार्ड में आराजी किस्म झोपड़ी बजाय कब्रिस्तान संशोधन नहीं किया गया इसलिए यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध विपक्षी प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण करीब एक माह पुर्व उत्पन्न हुआ जब प्रार्थी / कमेटी द्वारा, ने विपक्षी को रेवेन्यु रिकार्ड में किस्म संशोधन हेतु विपक्षी को निवेदन किया परन्तु विपक्षी श्रीमान तहसीलदार साहब को नाम संशोधन के लिए सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु कहा, इस वजह से प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण उत्पन्न हुआ है।

प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार का है क्योकि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे स्थित होकर पक्षकार भी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में निवास करते है एवं प्रार्थना पत्र निश्चित न्याय शुल्क स्टाम्प पर प्रस्तुत है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार अरनोद सम्मन पेश किया गया एवं जवाब मय मोका रिपोर्ट पेश करने को लिखा गया। तहसीलदार अरनोद ने उनके पत्र कमांक / भू. अ. / 25 / 857 दिनांक 31–7–25 से जवाब मय मोका रिपोर्ट पेश किया। पत्रावली बहस में नियत की गई।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णीत तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के मोजा कोटड़ी , तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ राजस्थान में प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी का खाता सं. 1 आराजी खसरा सं. 487 कुल किता 1 रकबा 0.52 है0 आराजी स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी / कमेटी के स्वामित्व व आधिपत्य की है। तथा उक्त आराजी में कब्रिस्तान स्थित है। उक्त आराजी खाता सं. 01 का रेवेन्यु रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 की किस्म झोपड़ी दर्ज रिकार्ड है।

प्रार्थी कमांक 1 के जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 की जमाबंदी की किस्म झोपड़ी दर्ज रिकार्ड थी।

प्रार्थना पत्र कि चरण सं0 1 में वर्णितआराजी प्रार्थी को राज्य सरकार से आवंटन हुई है तथा रोटेशन जमाबन्दी मे त्रुटी व सहवन से प्रार्थी के रेवेन्यु रिकॉर्ड में जमाबंदी सम्वत 2074–2077 कि किस्म झोपड़ी जिसकी जानकारी प्रार्थी के रेवेन्यु रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2074–2077 की किस्म कब्रिस्तान के बजाय रेवेन्यु रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2074–2077 कि किस्म झोपड़ी दर्ज रिकार्ड हो गया जो कि गलत है उक्त वर्णित आराजी की जमावंदी सम्वत 2070–2073 में आराजी की किस्म कब्रिस्तान है इसलिए प्रार्थी / कमेटी को अपनी उक्त आराजी बाबत सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने ऋण प्राप्त करने अथवा सरकारी, अर्धसरकारी कार्यवाही में दो अलग–अलग किस्म झोपड़ी होने के कारण काफी कठीनाईयों का सामना करना पड़ता है। इसवजह से प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे तथा विपक्षी को आदेशीत किया जाये कि प्रार्थी / कमेटी के खाते में आराजी किस्म झोपड़ी के बजाय कब्रिस्तान किया जाये।

वकील विपक्षी ने अपनी बहस में बताया की मोजा कोटड़ी , तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ राजस्थान में प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी का खाता सं. 1

उपखण्ड अधिकारी
अरनोद,

जी खसरा सं. 487 कुल किता 1 रकबा 0.52 है0 आराजी स्थित है। उक्त आराजी र्थी/कमेटी के स्वामित्व व आधिपत्य की है। तथा उक्त आराजी में कब्रिस्तान स्थित है। उक्त आराजी खाता सं. 01 का रेवेन्यु रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 की किस्म झोपड़ी दर्ज रिकार्ड है।तथा उक्त खसरा खाता स. 1 में आ रहा है उक्त आराजी जमाबंदी सम्वत 2074–77 में भूमि किस्म बंजर दर्ज थी। उक्त आराजी सम्वत् 2070–2073 में किस्म बंजर दर्ज होकर काश्तकार का नाम में कब्रिस्तान लिखा हुआ है तथा इससें पहले वाली जमाबंदी समवत 2066–69 में भी कब्रिस्तान दर्ज रिकार्ड है। मोके पर उक्त आराजी पर पिछले कई वषों से कब्रिस्तान है तथा कब्रिस्तान के चारों तरफ बाउंड्रीवाल बनी हुई है। मोके पर आराजी नं 487 रकबा 0.52 है. पर कब्रिस्तान बना हुआ है।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार अरनोद की रिपोर्ट अनुसार एवं संलग्न दस्तावेज पर्चा मौका व जांच रिपोर्ट पेश कि है। उक्त रिपोर्ट में आराजी न. 487 रकबा 0.52 है0 किस्म वर्तमान जमावंदी में झोपडी दर्ज है उक्त खसरा खाता स. 1 में आ रहा है उक्त आराजी जमाबंदी 2074–77 में भूमि किस्म बंजड दर्ज थी। उक्त आराजी सम्वत् 2070–2073 में किस्म बंजर दर्ज होकर काश्तकार का नाम में कब्रिस्तान लिखा हुआ है तथा इससें पहले वाली जमाबंदी समवत 2066–69 में भी कब्रिस्तान दर्ज रिकार्ड है। मोके पर उक्त आराजी पर पिछले कई वषों से कब्रिस्तान है तथा कब्रिस्तान के चारों तरफ बाउंडीवाल बनी हुई है। मोके पर आराजी नं 487 रकबा 0.52 है. पर कब्रिस्तान बना हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में आराजी न. 487 कुल किता 1 रकबा 0.52 है. आराजी का भूमि वर्गीकरण कर किस्म कब्रिस्तान किये जाने का निवेदन किया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सुसंगत तथ्यों पर होने से स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों आधार कार्ड , शपथ पत्र व तहसीलदार अरनोद की रिपोर्ट संलग्न दस्तावेज मोका पर्चा एवं जांच रिपोर्ट, जमाबंदी समवत 2070–73 जमाबंदी समवत 2074–77 के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता एवं आदेश दिया जाता है कि मोजा कोटड़ी प.ह. कोटडी के खाता सं. 1 आराजी न. 487 रकबा 0.52 है. आराजी को भूमि वर्गीकरण कर शूद्धी करते हुए आराजी झोपड़ी के स्थान पर कब्रिस्तान किया जाये। तहसीलदार अरनोद राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। तहरीर जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार हो कर नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
अरनोद,